2016 विधान परिषद पूर्वी न्यू टेरिटोरिज भौगोलिक

निर्वाचन क्षेत्र उप-चुनाव पर संक्षिप्त जानकारी

मतदान की तारीख और घंटे

- 28 फरवरी 2016 (**रविवार**)
- सुबह 7:30 से रात 10:30 बजे तक

नामांकन समय

- 5 – 18 जनवरी 2016

नामांकन के लिए योग्यता

- भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता जो 21 साल की उम्र तक पहुँच चुका हो
- जो नामांकन के तुरंत बाद 3 साल पहले से हांगकांग मे सामान्य रुप से रह रहा हो
- विधान परिषद अध्यादेश (कैप. 542) की धारा 37 में बयान किया गया अन्य नामांकन मानदंडो को पूरा किया हो

नामांकन प्रक्रिया

- जिला कार्यालय तथा 10/F, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई पर पंजीकरण और चुनावी कार्यालय (REO) में नामांकन फार्म उपलब्ध हैं। फार्म को REO के वेबसाइट (www.reo.gov.hk) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- एक नामांकन फार्म को पूर्वी न्यू टेरिटोरिज भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 100, पर 200 से कम, पंजीकृत मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। हर मतदाता केवल एक नामांकन को समर्थन कर सकता है।

मतदान

- पूर्वी न्यू टेरिटोरिज भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताए उप- चुनाव में अपने वोट डाल सकते हैं।
- हर मतदाता को एक नामित मतदान केन्द्र के लिए आवंटित किया जाएगा।

- मतदान के लगभग 10 दिन पहले संबंधित मतदाताओं को एक पोल कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर नामित केन्द्र प्रकाशित होगा।

- एक मतदाता के लिए नामित मतदान केंन्द्र, चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नही यह पोल कार्ड से जुडे नक्शे में निर्दिष्ट किया जाएगा। विकलांग मतदाता यह जानने के बाद कि नामित मतदान केंद्र उनके लिए सुलभ नही हैं तो, वे पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय को फैक्स द्वारा (2891 1180) या टेलीफोन द्वारा (2891 1001) 23 फरवरी 2016 से पहले ऐसे विशेष नामित निर्वाचन कार्यालय मे वोट डालने के लिए आवेदन कर सकता हैं जहाँ पर विल चियर से पहुँच हो सके।

- यदि मतदाताको मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरुरत है तो, वे अल्पसंख्यक जातीयों के लिए केन्द्र (CHEER) पर निम्नलिखित हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं जो 15 फरवरी 2016 से लागू होगा।

भाषा	हॉटलाइन नंबर
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
तागालोग	
थाई	
हिन्दी	3755 6822
नेपाली	
पंजाबी	3755 6833
उर्दू	

मतदान कैसे करें?

- अपने नामित मतदान केन्द्र पर अपना HKID कार्ड लेकर जाएँ और मतदान कर्मचारियों को दिखाएँ।

- आपको एक मतपत्र, "✓" (सही का निशान) लगा हुआ एक चॉप के साथ एक पेपर बोर्ड दिया जाएगा। आपको अपने मतपत्र चिन्हित करने के लिए प्रदान किया गया चॉप का **प्रयोग करना होगा**।

- मतदान कक्ष के अंदर, मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे दिए हुए घेरा में चॉप लगाएँ। केवल <u>**एक**</u> उम्मीदवार के लिए मतदान करें। यदि आप कोई गलती करते हैं, तो कृपया मतपत्र अध्यक्ष अधिकारी को वापस करें और एक नए मतपत्र के लिए पूछें।

- मतपत्र को मतपेटिका में डालने से पहले, "✓" (सही का निशान) को छिपाने के लिए एक बार मोड़े।

साफ चुनाव

भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (ICAC) द्वारा लागू किया जाने वाला चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप 554) के अनुसार, एक मतदाता को **नही करना चाहिए**:

- चुनाव में वोट न डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट डालने के लिए या न डालने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा, उपहार, सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना;

- किसी के मतदान निर्णय को प्रभाव करने के लिए दबाव या बाध्यता का प्रयोग या प्रयोग करने के लिए धमकाना;

- उनको/ उसको यह जानकारी होते हुए भी कि वे हकदार नही है मतदान पर वोट डालने के लिए; या जानबूझकर या बिना विचारे ही गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरण गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देना।